(110

संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण, बिहार, पटना

प्रथम तल, कृषि भवन, मीठापुर, पटना– 800001

E-mail ID- jdappbiharpatna@gmail.com Mob no- 9031643104

पत्र संख्या– /पौ0सं0यो0ड्रोन–400–2026 522 /कृ0 पटना दिनांक, 27– जुलाई 2026,

प्रेषक,

गोपाल शरण प्रसाद
संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण,
बिहार, पटना।

सेवा में

सभी उप निदेशक, पौधा संरक्षण ।
सभी सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण।

विषयः– वित्तीय वर्ष 2026–27 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (DPR) अंतर्गत चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत कृषि ड्रोन से फसलों पर कीटनाशी एवं तरल उर्वरक छिड़काव योजना का मार्गदर्शिका के अनुरूप योजना क्रियान्वयन के संबंध में।

प्रसंगः– विभागीय स्वीकृति आदेश संख्या पौ0सं0यो0ड्रोन–400–2026–पी0पी0एम0–31–दिनांक – 02.07.2026।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि वित्तीय वर्ष 2026–27 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (DPR) अंतर्गत चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत **कृषि ड्रोन से फसलों पर कीटनाशी एवं तरल उर्वरक का छिड़काव योजना**" का मार्गदर्शिका इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जा रही है।

अतः आप सभी को निदेश दिया जाता है कि मार्गदर्शिका के अनुरूप योजना का क्रियान्वयन करना सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन
27/7/2026
(गोपाल शरण प्रसाद)
संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण
बिहार, पटना।

ज्ञापांक सं0–04/पौ0सं0ड्रोनयो0–400/2026– 522 /कृ० पटना दिनांक 27–7– 2026

प्रतिलिपिः– सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/7/2026
संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण
बिहार, पटना।

ज्ञापांक सं0–04/पौ0सं0ड्रोनयो0–400/2026– 522 /कृ० पटना दिनांक 27–7– 2026

प्रतिलिपिः– सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक, (शष्य)/सभी जिला कृषि पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

27/7/2026
संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण
बिहार, पटना।

ज्ञापांक सं0–04/पौ0सं0ड्रोनयो0–400/2026– 522 /कृ० पटना दिनांक 27–7– 2026

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव, बिहार, पटना/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/ निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

27/7/2026
संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण
बिहार, पटना।

Acums

(109)

ज्ञापांक सं0–04 / पौ0सं0ड्रोनयो0–400 / 2026-- 522 / कृ० पटना दिनांक 27-7-2026

प्रतिलिपिः– उप कृषि निदेशक (सूचना) बिहार, पटना को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ह0/- 27/7/26

संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण
बिहार, पटना।

कृषि ड्रोन से फसलों पर कीटनाशी एवं तरल उर्वरक का छिड़काव योजना के कार्यान्वयन हेतु मार्गदर्शिका।

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–04/पौ0सं0यो0ड्रोन–400–2026–पी0पी0एम0–31–दिनांक–02.07.2026 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2026–27 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (DPR) अंतर्गत चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत कृषि ड्रोन से फसलों पर कीटनाशी एवं तरल उर्वरक का छिड़काव योजना हेतु कुल 1181.30440 लाख (ग्यारह करोड़ इक्यासी लाख तीस हजार चार सौ चालीस) रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। योजना का कार्यान्वयन निर्गत स्वीकृत्यादेश के साथ संलग्न अनुसूची–1 एवं 3 के अनुसार किया जायेगा। योजना कार्यान्वयन से संबंधित मार्गदर्शिका निम्नवत है।

1. लाभार्थी किसान का चयन

I. डी0बी0टी0 पोर्टल कृषि विभाग पर निबंधित कृषक ही योजना के लक्ष्य अन्तर्गत पात्र होंगे।
II. योजनान्तर्गत इच्छुक कृषकों के समूह को प्राथमिकता दी जायेगी।
III. एक किसान को अधिकतम 15 एकड़ प्रति छिड़काव (खरीफ, रबी एवं गरमा में अलग–अलग) हेतु अनुदानित दर पर छिड़काव तथा रसायनों के क्रय पर अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा।
IV. एक किसान को प्रति सीजन अधिकतम दो छिड़काव हेतु अनुदान का लाभ दिया जायेगा।
V. इच्छुक आवेदक ड्रोन से छिड़काव एवं रसायनों के क्रय पर अनुदान प्राप्त करने हेतु डी0बी0टी0 पोर्टल, कृषि विभाग पर सीधे ऑनलाईन आवेदन कर सकेंगे।

2. ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया/आवेदन की जाँच :–

I. वैसे कृषक जिन्हें कृषि ड्रोन से फसलों पर कीटनाशी एवं तरल उर्वरक छिड़काव तथा रसायनों के क्रय पर अनुदान की सुविधा लेनी है उन्हे सर्वप्रथम www.dbtagricuture.bihar.gov.in (dbt portal) पर पंजीकृत होना अनिवार्य होगा। तदोपरान्त विभागीय वेबसाइट https://onlinedbtagriservice.bihar.gov.in/pp/index2.html पर सीधे ऑनलाईन आवेदन कर सकेंगें।
II. किसानो को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक होगा।
   (क) DBT Portal से प्राप्त Registration ID.
   (ख) आवेदक का आधार कार्ड।
   (ग) स्व घोषणा पत्र। (रैयत/गैर रैयत)
III. कृषको द्वारा समर्पित ऑनलाइन आवेदन का सत्यापन, सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण द्वारा प्राधिकृत कृषि समन्वयक के द्वारा 24 घंटे के अन्दर करते हुए अपने डी0बी0टी लॉगिन से निष्पादित करना अनिवार्य होगा।
IV. कृषि समन्वयक द्वारा अग्रसारित आवेदन के दस्तावेजों की जाँच सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी/कर्मी के द्वारा करते हुए 24 घंटे के अन्दर डी0बी0टी लॉगिन से ड्रोन से छिड़काव हेतु, संबंधित सेवा प्रदाता को तथा रसायन के क्रय पर अनुदान हेतु, संबंधित अनुज्ञप्तिधारी कीटनाशी विक्रेता को अग्रसारित करना अनिवार्य होगा।

V. संबंधित सेवा प्रदाता/अनुज्ञप्तिधारी कीटनाशी विक्रेता के द्वारा 24 घंटे के अन्दर किसानों के आवेदन के अनुरूप रसायन का विक्रय/ड्रोन से छिड़काव करते हुए संबंधित विपत्र, आधार कार्ड एवं जीओ टैग फोटो अपलोड करना अनिवार्य होगा। ड्रोन सेवा प्रदाता द्वारा छिड़काव उपरान्त अभिश्रव पर तथा कीटनाशी विक्रेता द्वारा रसायन क्रय से संबंधित अभिश्रव पर किसानों से हस्ताक्षर/अँगूठा का निशान प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाएगा।

VI. सेवा प्रदाता तथा अनुज्ञप्तिधारी कीटनाशी विक्रेता द्वारा अग्रसारित आवेदन के दस्तावेजों की जाँच सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी/कर्मी द्वारा करते हुए दो दिनो के अन्दर निष्पादित करना अनिवार्य होगा।

VII. सभी आवेदनों के जाँचोपरान्त पात्र आवेदन को सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण के द्वारा अपने डी0बी0टी लॉगिन से स्वीकृत किया जायेगा।

VIII. संबंधित कर्मी के द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्दर आवेदन निष्पादित नही करने की स्थिति में आवेदन अगले स्तर पर स्वतः अग्रसारित हो जायेगा। ऐसी स्थिति में उक्त कार्य का निष्पादन नही करने के लिए संबंधित कर्मी/पदाधिकारी के विरूद्ध विधि–सम्मत कार्रवाई, सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण के अनुशंसा पर जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा की जायेगी एवं इसकी सूचना कृषि निदेशक, बिहार, पटना को दी जायेगी। कृषि ड्रोन से फसलों पर कीटनाशी एवं तरल उर्वरक छिड़काव तथा रसायन के क्रय पर अनुदान हेतु आवेदन के निष्पादन से संबंधित फ्लो चार्ट **अनुसूची–01 एवं 02** के रूप में संलग्न है।

3. **ड्रोन सेवा प्रदाता एवं अनुज्ञप्तिधारी विक्रेता का चयन :–**

I. योजनान्तर्गत किसानों के खेतो में कृषि ड्रोन से फसलों पर कीटनाशी एवं तरल उर्वरक छिड़काव की सुविधा पूर्व वित्तीय वर्ष 2025–26 में निविदा के माध्यम से राज्य स्तर पर प्रकाशित निविदा सं0 01/पौ0सं0/2025 दिनांक 23.09.2025 में सफल कुल 04 सेवा प्रदाताओं यथा (मेसर्स0 एम0 वी0 इनफोकस प्रा0 लि0, टेक्नोग्राउन्ड प्रा0 लि0, वेद प्रभा एयरोस्पेस प्रा0लि0 एवं एयरस्पेस ग्लोबल प्रा0लि0) के द्वारा ही वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026–27 में छिड़काव कराया जाएगा।

II. सेवा प्रदाता के पास कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत कृषि ड्रोन से छिड़काव संबंधित SOP के शर्तो का पालन करना अनिवार्य होगा।

III. कृषि ड्रोन से कीटनाशी एवं तरल उर्वरक छिड़काव हेतु सेवा प्रदाता एजेंसी को नागर विमानन मंत्रालय द्वारा निर्गत ड्रोन नियम 2021, ड्रोन (संशोधन) नियम 2022, ड्रोन (संशोधन) नियम 2023 तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, के द्वारा ड्रोन के परिचालन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तथा फसलवार SOP परिचारित है जिसका शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार सरकार के विशेष सचिव के पत्रांक 8636 दिनांक 19.07.2023 से निर्गत आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

IV. ड्रोन से छिड़काव कार्य के समय किसी प्रकार की आकस्मिक दुर्घटना होने पर विभाग की जबाबदेही नहीं होगी।

V. जाँच के क्रम में यदि सेवा प्रदाता द्वारा ड्रोन से कीटनाशी छिड़काव रकवा से अधिक छिड़काव शुल्क अपलोड किया जाता है तो ऐसी स्थिति में विभाग द्वारा अधिक भुगतान राशि की वसूली किया जायेगा एवं सेवा प्रदाता पर नियमानुकूल आवश्यक कार्रवाई किया जायेगा।

5.1 सेवा प्रदाता के द्वारा ड्रोन आधारित कीटनाशक एवं तरल उर्वरक अनुप्रयोग से संबंधित सावधानियाँ एवं पूर्व आवश्यकताएँ :–

I. सेवा प्रदाता के द्वारा ड्रोन–निषेद्ध क्षेत्र (हवाई अड्डे या इलेक्ट्रॉनिक स्टेशन) में उड़ान ना भरना सुनिश्चित किया जायेगा। ग्रीन जोन में कृषि ड्रोन के संचालन के लिए अनुमति की आवश्यकता नही होगी।
II. नियंत्रित हवाई क्षेत्र में संचालन के लिए डीजीसीए से विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन) प्राप्त करना एवं इसे अपने ड्रोन पर चिपकाना अनिवार्य होगा।
III. ड्रोन अच्छी स्थिति में है (क्षतिग्रस्त नहीं है) और सुरक्षित रूप से उड़ान भरने के लिए उपयुक्त है तथा छिड़काव प्रणाली में कोई रिसाव नहीं है, यह सुनिशिचित किया जायेगा।
IV. ड्रोन को परिचालन दृश्य सीमा के भीतर रखना अनिवार्य होगा।
V. ड्रोन पायलट का ड्रोन संचालन और कीटनाशकों के सुरक्षित उपयोग से संबंधित प्रशिक्षित होना अनिवार्य होगा।
VI. ड्रोन पायलट द्वारा ड्रोन टेक–ऑफ, लैंडिंग और टैंक मिश्रण संचालन के लिए स्थान की पुष्टि करना होगा। सुरक्षित संचालन के लिए प्रस्तावित उपचारित क्षेत्र, सीमा, खेत के चारों ओर की बाधाओं (दीवारों, पेड़ों) की जाँच करना और उन्हें चिह्नित करना अनिवार्य होगा।
VII. जल स्रोतों के पास कीटनाशकों का छिड़काव नहीं किया जायेगा।
VIII. यह सुनिश्चित करना होगा कि जानवरों और आम व्यक्तियों को ड्रोन से छिड़काव की अवधि में ऐसे क्षेत्रों में प्रवेश करने से रोका जाएगा।
IX. यह सुनिश्चित किया जायेगा की सरकारी कार्यालयों, सैन्य अड्डों के ऊपर या किसी भी ड्रोन रहित क्षेत्र के ऊपर ड्रोन नहीं उड़ाया जायेगा।
X. जब तक अनुमति न दी जाए, ड्रोन पायलट द्वारा निजी संपत्ति पर ड्रोन नहीं उड़ाया जायेगा।

5.2 छिड़काव के समय सावधानियाँ :–

I. पॉयलट के द्वारा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहनना अनिवार्य होगा।
II. पॉयलट के द्वारा छिड़काव करते समय खाना, पीना या धूम्रपान नहीं करना अनिवार्य होगा।
III. ऑपरेशन टीम हमेशा हवा के विपरीत दिशा में खड़े होगें।
IV. कीटनाशी छिड़काव से पूर्व साफ पानी से छिड़काव कर ड्रोन की जॉच कर लेगें।
V. मौसम की स्थिति (हवा की गति, तापमान, उपयुक्त आर्द्रता) की जाँच के उपरान्त छिड़काव किया जायेगा।
VI. फसल के अनुसार उचित उड़ान ऊंचाई सुनिश्चित किया जायेगा।
VII. पानी की उचित मात्रा सुनिश्चित किया जायेगा।
VIII. उचित उड़ान गति सुनिश्चित किया जायेगा।
IX. मछली, पक्षियों, मधुमक्खी और रेशमकीट जैसे गैर–लक्षित जीवों के लिए जहरीले कीटनाशकों का छिड़काव करते समय, उत्पाद लेबल चेतावनी का सख्ती से पालन और प्रभावी उपाय किया जायेगा।
X. मानव और पर्यावरण में बहाव को कम करने के लिए उचित नोजल का उपयोग किया जायेगा।

VI. किसानों को अनुदानित दर पर रसायन क्रय हेतु अनुज्ञप्तिधारी कीटनाशी विक्रेता का चयन जिला स्तर पर संबंधित जिलो के सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण द्वारा किया जायेगा तथा इसकी सूची संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जायेगा ताकि संबंधित विक्रेता का डी0बी0टी0 लॉगिंन आई0डी0 उपलब्ध कराया जा सके।

VII. सभी चयनित ड्रोन सेवा प्रदाता/अनुज्ञप्तिधारी कीटनाशी विक्रेता द्वारा अपने कार्यालय/प्रतिष्ठान पर योजना अन्तर्गत अनुदान से संबंधित बैनर लगाना सुनिश्चित किया जायेगा।

4. भुगतान की प्रक्रिया :-

I. निविदा में प्राप्त न्यूनतम छिड़काव शुल्क {L-1} 419 रू प्रति एकड़ का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 209.00 रू0 प्रति एकड़ का भुगतान संबंधित सेवा प्रदाता को एवं जैव कीटनाशी/रासायनिक कीटनाशी/तरल उर्वरक के क्रय मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 200.00 रू0 प्रति एकड़ (प्रति रसायन/प्रति छिड़काव) में से जो कम हो, का भुगतान चयनित अनुज्ञप्तिधारी कीटनाशी विक्रेता/सेवा प्रदाता को SNA-SPARSH Module के माध्यम से बैंक खाते में अन्तरित किया जायेगा ।

छिड़काव शुल्क/रसायन क्रय-मूल्य के शेष राशि का भुगतान किसानों द्वारा संबंधित सेवा प्रदाता/अनुज्ञप्तिधारी कीटनाशी विक्रेता को किया जायेगा।

II. ड्रोन के द्वारा छिड़काव हेतु संबंधित किसान को विभाग द्वारा चिन्हित अनुज्ञप्तिधारी कीटनाशक विक्रेता से छिड़काव से संबंधित रसायन सेवा प्रदाता को उपलब्ध कराना होगा।

III. छिड़काव कार्य संपादन उपरान्त चिन्हित/अनुबंधित एजेंसी द्वारा छिड़काव से आच्छादित क्षेत्र का पुनः अंतिम फोटोग्राफ लेकर छिड़काव क्षेत्र (रकवा) के एवज में निर्धारित सेवा शुल्क की राशि संबंधित किसान से प्राप्त करेगें तथा उसके बदले में अभिश्रव किसान को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

IV. योजना संबंधित सुसंगत विषय शीर्ष में कोटिवार बजट उपबंध केन्द्रांश मद में 82.80 : 15.89 : 1.31 के अनुपात में कोटिवार राशि प्रस्तावित किया गया है। उक्त अनुपात के अनुसार कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा योजना कार्यान्वित किया जायेगा।

5. ड्रोन के परिचालन से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देशः-

I. कृषि ड्रोन से कीटनाशक एवं तरल उर्वरक अनुप्रयोग के लिए ड्रोन ऑपरेटर को ऑपरेशन से पहले, उसके दौरान और बाद में सावधानियाँ, पूर्व-आवश्यकताएँ आदि का पालन करना अनिवार्य होगा।

II. किसानों को अविलम्ब कीट/व्याधि नियंत्रण हेतु छिड़काव की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सेवा प्रदाता एजेंसी को अपने आवंटित जिलों के सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण कार्यालय में एक ड्रोन रखना अनिवार्य होगा तथा फसलों के पीक सीजन के अवधि में सभी सेवा प्रदाता को अपने आवंटित जिलों में कम से कम दो ड्रोन एवं ड्रोन पायलट रखना अनिवार्य होगा। ड्रोन ससमय उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में विभाग द्वारा एजेन्सी को काली सूची में दर्ज करने संबंधित आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

IV. कृषि ड्रोन से फसलों पर कीटनाशी एवं तरल उर्वरक का छिड़काव के मार्गदर्शिका का अनुपालन सुनिश्चित करना।

(घ) जिला स्तरीय कार्यान्वयन एजेन्सी

I. सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण जिला स्तरीय कार्यान्वयन एजेन्सी होगें।
II. सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण द्वारा जिलों के लिये निर्धारित लक्ष्य का प्रखंडवार विखंडन किया जाएगा तथा लाभान्वित कृषकों के चयन हेतु इसकी सूचना संबंधित प्रखंड कृषि पदाधिकारी / कृषि समन्वयक / कृषि कर्मी / पौधा संरक्षण कर्मी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
III. सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण द्वारा योजना अन्तर्गत अनुदान एवं चयनित सेवा प्रदाता / प्रतिष्ठान का बैनर कार्यालय में लगवाना सुनिश्चित किया जाय।
IV. इस योजना अन्तर्गत निकासी एवं व्यय की गयी राशि का अलग रोकड़ बही पंजी संधारित किया जाएगा ।
V. सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण द्वारा योजना समाप्ति के उपरान्त कार्यक्रम में लाभुकों की सूची को Google doc पर भेजते हुए संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण कार्यालय को हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी भेजना सुनिश्चित किया जायेगा।
VI. योजना का 10 प्रतिशत निरीक्षण संबंधित सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण द्वारा किया जायेगा।
VII. योजना का शत–प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करना संबंधित सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण की जिम्मेवारी होगी।
VIII. योजना से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक सप्ताह उप निदेशक, पौधा संरक्षण कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिष्चित करेंगे।

(ड़) प्रमण्डल स्तरीय कार्यान्वयन एजेन्सी

I. प्रमंडल स्तरीय सभी उप निदेशक, पौधा संरक्षण द्वारा अपने क्षेत्राधीन जिलों में योजना का सघन पर्यवेक्षण करना सुनिश्चित करेंगे। योजनान्तर्गत अधीनस्थ जिलों के कोटिवार लक्ष्य का 5 (पाँच) प्रतिशत निरीक्षण प्रमंडल के उप निदेशक पौधा संरक्षण के द्वारा किया जायेगा।
II. क्षेत्राधीन जिलों का योजना से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक सप्ताह संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण, बिहार, पटना कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करेंगे।

(च) मुख्यालय स्तरीय कार्यान्वयन एजेन्सी

I. कृषि ड्रोन से फसलों पर कीटनाशी एवं तरल उर्वरक का छिड़काव योजना के सफल संचालन हेतु संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण, बिहार, पटना द्वारा स्वयं अथवा अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से सघन पर्यवेक्षण एवं निगरानी किया जायेगा।
II. संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण, बिहार, पटना द्वारा योजनान्तर्गत राज्य के लक्ष्य का 1 (एक) प्रतिशत निरीक्षण किया जायेगा।
III. उप निदेशक, पौधा संरक्षण, सर्वेलेन्स एवं आई0पी0एम0, पटना द्वारा योजनान्तर्गत राज्य के लक्ष्य का 2 (दो) प्रतिशत निरीक्षण किया जायेगा।
IV. राज्य स्तर पर कृषि में उपयोगी ड्रोन का जीवंत प्रत्यक्षण सह कार्यशाला का आयोजन संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण, बिहार, पटना द्वारा किया जायेगा, जिसमें देश के ड्रोन विनिर्माताओं / सेवा प्रदाताओं की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी।

104

5.3 छिड़काव के बाद सावधानियाँ

I. खाली कन्टेनर को तीन बार धोना अनिवार्य होगा।
II. सुनिश्चित करेंगे कि उत्पन्न होने वाला कचरा न्यूनतम रखा जाए।
III. कचरे का निपटान स्थानीय कानूनों के अनुरूप होना चाहिए। खतरनाक कचरे को कभी भी जलाएं या मिट्टी में नहीं दबायें।
IV. खेत में कभी भी खाली कन्टेनर नहीं छोड़ेंगे। इसका निपटान कीटनाशी नियमावली 1971 के अनुसार किया जाना अनिवार्य होगा।

6. पदेन कर्तव्य एवं दायित्व

(क) पौधा संरक्षण निरीक्षक / पौधा संरक्षण पर्यवेक्षक / पौधा संरक्षण कर्मी

I. अपने क्षेत्राधीन प्रखंडों में चलने वाले पौधा संरक्षण योजनाओं का सघन पर्यवेक्षण करना।
II. ड्रोन से फसलों पर कीटनाशी एवं तरल उर्वरक का छिड़काव के उपयोग एवं इससे होने वाले लाभ के बारे में कृषकों के बीच प्रचार–प्रसार करना एवं इच्छुक कृषकों का समूह तैयार करना।
III. योजना का शत–प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करने में सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, का सहयोग करना।

(ख) कृषि समन्वयक

I. योजना के कार्यन्वयन हेतु निर्गत मार्गदर्शिका का अनुपालन करना।
II. कृषि ड्रोन से फसलों पर कीटनाशी एवं तरल उर्वरक का छिड़काव योजना के उपयोग एवं लाभ के बारे में जानकारी देना।
III. इच्छुक कृषकों को ड्रोन से फसलों पर कीटनाशी एवं तरल उर्वरक का छिड़काव हेतु उपावंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अधीन ऑनलाईन आवेदन हेतु प्रेरित करना।
IV. लाभार्थी के आवेदन को मार्गदर्शिका के शर्तो के अनुरूप स्वीकृत / अस्वीकृत करना।
V. ड्रोन से फसलों पर कीटनाशी एवं तरल उर्वरक का छिड़काव की उपयोगिता का सत्यापन कर प्रतिवेदित करना।
VI. निर्धारित समय सीमा के अन्दर ऑनलाईन आवेदन निष्पादित नहीं करने की स्थिति में आवेदन अगले स्तर पर स्वतः अग्रसारित हो जायेगा। ऐसी स्थिति में यदि जाँच के क्रम में किसान के द्वारा आवेदित रकवा उसके द्वारा धारित रकवा से अधिक पाया जाता है तो इसकी जिम्मेवारी संबंधित पंचायत के कृषि समन्वयक की होगी।

(ग) प्रखंड कृषि पदाधिकारी

I. पौधा संरक्षण से संबंधित योजनाओं का सघन रूप से पर्यवेक्षण करना।
II. पौधा संरक्षण योजना के संचालन से संबंधित कोई भी अनियमितता प्राप्त होने की स्थिति में अविलम्ब सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण को सूचित करना।
III. किसानों द्वारा ड्रोन से फसलों पर कीटनाशी एवं तरल उर्वरक का छिड़काव से संबंधित ऑनलाईन आवेदन के निष्पादन से संबंधित कृषि समन्वयक का समीक्षा करना तथा कृषि समन्वयक द्वारा स्वतः अग्रसारित आवेदन होने की स्थिति में सबंधित कर्मी के विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा करना।

7. योजना के सभी कार्यान्वयन एजेन्सी / निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत्यादेश में निहित सभी निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8. योजना अन्तर्गत प्रखंडवार निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि नहीं होने की स्थिति में डी0बी0टी0 पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन के अनुसार जिला के निर्धारित लक्ष्य की उपलब्धि सुनिश्चित की जा सकेगी।

9. योजना संबंधित प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह के पांचवी तारीख तक राज्य स्तरीय उपलब्ध कराये गये प्रपत्र में संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण, बिहार, पटना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

कृषि निदेशक,
बिहार, पटना।

अनुसूची – 01

कृषि ड्रोन से फसलो पर कीटनाशी एवं तरल उर्वरक का छिड़काव कार्यक्रम

फ्लो चार्ट

स्तर	की जाने वाली कार्रवाई	समय अवधि
किसान	• डी०बी०टी० पोर्टल पर पंजीकृत किसान द्वारा आवेदन • रैयत एवं गैर रैयत किसान द्वारा स्वं घोषणा पत्र अपलोड • आवेदक का आधार कार्ड	पोर्टल खुला रहने तक
कृषि समन्वयक	किसान का सत्यापन एवं आवेदित रकवा का भौतिक सत्यापन	24 घंटे के अन्दर
सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण का कार्यालय	संबंधित प्रखंड के चयनित सेवा प्रदाता को आवेदन अग्रसारण	24 घंटे के अन्दर
सेवा प्रदाता	• छिड़काव कार्य का सम्पादन • सेवा प्रदाता एवं किसान द्वारा हस्ताक्षरित विपत्र, आधार कार्ड एव **Geo Tagged** फोटो अपलोड	24 घंटे के अन्दर
सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण का कार्यालय	छिड़काव शुल्क संबंधित विपत्र, अभिलेख एवं राशि का सत्यापन	02 दिन
सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण	स्वीकृत / अस्वीकृत	02 दिन

अनुसूची – 02

कृषि ड्रोन से छिड़काव हेतु रसायन क्रय पर अनुदान संबंधित आवेदन प्रक्रिया

फ्लो चार्ट

स्तर	की जाने वाली कार्रवाई	समय अवधि
किसान	• डी0बी0टी0 पोर्टल पर पंजीकृत किसान द्वारा आवेदन • रैयत एवं गैर रैयत किसान द्वारा स्वं घोषणा पत्र अपलोड • आवेदक का आधार कार्ड	पोर्टल खुला रहने तक
कृषि समन्वयक	किसान का सत्यापन एवं आवेदित रकवा का भौतिक सत्यापन	24 घंटे के अन्दर
सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण का कार्यालय	संबंधित प्रखंड के चयनित अनुज्ञप्तिधारी विक्रेता को आवेदन अग्रसारण	24 घंटे के अन्दर
अनुज्ञप्तिधारी विक्रेता	➢ रसायन किसान को उपलब्ध कराना ➢ विक्रेता एवं किसान द्वारा हस्ताक्षरित विपत्र एव Geo Tagged फोटो अपलोड	24 घंटे के अन्दर
सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण का कार्यालय	रसायन क्रय संबंधित विपत्र, अभिलेख एवं राशि का सत्यापन	02 दिन
सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण	स्वीकृत / अस्वीकृत	02 दिन